

उत्तराखण्ड शासन

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2

संख्या- 241 /XXIV-2/2018-09(06)/2015

देहरादून दिनांक 02 सितम्बर, 2018

कार्यालय झाप

एतद्वारा महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक सेवा प्रशा0/8871/(1)/O(05)/2014-15 दिनांक 16.01.2015 एवं पत्रांक-सेवा0प्रशा0/15932/O(5)14/2017-18 दिनांक 28.02.2018 के क्रम में श्री विनोद कुमार ढौडियाल, (मूल पद उप निदेशक) प्रभारी विभागाध्यक्ष, सीमैट, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा राजकीय सेवा में आने से पूर्व अशासकीय विद्यालय इण्टर मीडिएट कालेज, उफरैखाल, पौड़ी गढ़वाल में प्रवक्ता (रसायन शास्त्र) पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि अर्थात् 08.01.1993 से वर्तमान सेवा में आने की तिथि तक की सेवा को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-138/XXVII(7)/2008 दिनांक 02.08.2008 के अधीन केवल पेशनरी लाभ हेतु जोड़े जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्तवत् अनुमन्य लाभ श्री विनोद कुमार ढौडियाल को इस शर्त के साथ देय होगा कि वे वित्त विभाग के आदेशों के अनुसार वांछित प्रमाण-पत्र, आहरण-वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-16/XXVII(7)2018, दिनांक 20 सितम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(कवीन्द्र सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्या: 241 (1)/XXIV-2/2018-09(06)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मंडालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को उक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में।
3. वित्त नियंत्रक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
8. प्रधानाचार्य, इण्टरमीडिएट कालेज उफरैखाल, पौड़ी गढ़वाल।
9. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. सम्बन्धित अधिकारी।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मो0 अब्दुल्लाह अंसारी)

अनु सचिव